"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018—ज्येष्ठ 4, शक 1940

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012) उप सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, श्रम विभाग को केलव उप सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभार से मुक्त करता है. शेष प्रभार यथावत रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2018 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-57/गृह-सी/परीक्षा/2018.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा बुधवार, दिनांक 01 अगस्त, 2018 से 07 अगस्त, 2018 तक रायपुर/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

बुधवार, दिनांक 01-08-2018

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
	बुधवार, दिनांक 01-08-2018	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	

गुरूवार, दिनांक 02-08-2018

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	

गुरूवार, दिनांक 02-08-2018

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये. (पुस्तकों सहित)	

शुक्रवार, दिनांक 03-08-2018

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम, वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यावहारिक शाखा" प्रश्न-पत्र.	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण, ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	

शुक्रवार, दिनांक 03-08-2018

(1)	(2)	(3)
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया- विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न-पत्र (बिना पुस्तकों के).	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड् एम. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि.सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के).	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

शनिवार, दिनांक 04-08-2018

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचयत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शनिवार, दिनांक 04-08-2018	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, राजस्व तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	रविवार, दिनांक 05-08-2018 को अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 06-08-2018	
45.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न-पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	

सोमवार, दिनांक 06-08-2018

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
	सोमवार, दिनांक 06-08-2018	
51.	सिविल पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न-पत्र भाग-2, पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	दोपहर 02.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	मंगलवार, दिनांक 07-08-2018	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग (हरिजन आदिवासी सेल) के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 10-07-2018 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 7-31/2017/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 4-10-2017 द्वारा जांजगीर विकास योजना 2021 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

जांजगीर विकास योजना, 2021 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कुलीपोटा प.ह.नं.-42	540/1	3.50 एकड़	कृषि एवं मार्ग	मार्ग को छोड़कर आवासीय

2. उक्त उपांतरण अटल विहार योजना के आवासीय प्रयोजन हेतु है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा जांजगीर विकास योजना 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण जांजगीर विकास योजना 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2018

क्रमांक 1349/एफ 29/01/2016/13/2/ऊ. वि.—यत: राज्य शासन की यह राय है कि औद्योगिक/आर्थिक क्षेत्र में व्याप्त मंदी के कारण, राज्य में संचालित उद्योग यथा ऐसे मिनी स्टील प्लांट एवं फैरो एलॉयस यूनिट, जो 02 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) तक उत्पादन क्षमता रखते हो, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से विद्युत प्राप्त कर रहे हों, तथा 20 एम.व्ही.ए. तक के ऐसे सभी संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन संयंत्र, राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, फैरो एलॉयज, आयरन ओर पेलेट प्लांट, आयरन बेनिफिसिएशन प्लांट या उसका कोई समुच्चय तथा अन्य लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसमें सम्मिलित है सभी डाऊन स्ट्रीम एवं विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर एवं एलाईड और अन्य कनेक्शन, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से विद्युत प्राप्त कर रहे हों, के बंद होने की स्थिति में, इन उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की बड़ी संख्या में बेरोजगार होने की संभावना तथा राज्य के राजस्व पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, लोकहित में यह आवश्यक एवं समीचीन है कि विशेष पैकेज के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2017 से 30 सितंबर 2017 की कालावधि के लिए लागू विद्युत शुल्क में विभिन्न रियायतों को संशोधित रूप में दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक बढ़ाया जाये;

और यत: ऐसे मिनी स्टील प्लांट एंव फैरो एलॉयस यूनिट, जो 02 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) तक उत्पादन क्षमता रखते हों, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से विद्युत प्राप्त कर रहे हों तथा 20 एमव्हीए तक के ऐसे सभी स्टील संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन संयंत्र, फैरो एलॉय, स्टील कास्टिंग, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, लघु एवं मध्यम उद्योग जिसमें सम्मिलित है सभी विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म तथा एग्रीकल्चर एवं एलाईड और अन्य कनेक्शन, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से विद्युत प्राप्त कर रहे हों, पर विद्युत शुल्क की विद्यमान दर 6% को कम करते हुए 3% करना आवश्यक है;

और यत: ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 02 मिलियन टन प्रति वर्ष से कम उत्पादन क्षमता रखते हों, जो अपने स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग कर रहे हों पर विद्युत शुल्क की विद्यमान दर 15% को कम करते हुए 3% करना आवश्यक है:

और यत: ऐसे सभी स्टाल संयंत्र, जो 02 मिलियन टन प्रति वर्ष से कम उत्पादन क्षमता रखते हों, में संस्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट के सहायक उपभोग पर विद्युत शुल्क की विद्यमान दर 15% को कम करते हुए 6% करना आवश्यक है:

और यत: ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 02 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन क्षमता रखते हों, जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपभोग अपने स्वयं के स्टील इकाई में कर रहे हों, पर विद्युत शुल्क की विद्यमान दर 15% को कम करते हुए 9% करना आवश्यक है:

अतएव छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 3-ब तथा धारा 3-स द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में :—

1. भाग-क में, सरल क्रमांक 10 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"10	ऐसे मिनी स्टील प्लांट एवं फैरो एलॉयस यूनिट, जो 02 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) तक उत्पादन क्षमता रखते हों, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से विद्युत प्राप्त कर रहे हों तथा 20 एम.व्ही.ए. तक के ऐसे सभी स्टील संयंत्र, रोलिंग मिल, स्पंज आयरन प्लांट,	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक 6 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 6 प्रतिशत की दर से."

(1)	(2)	(3)	(4)
	फैरो एलॉयज, स्टील कास्टिंग, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट राईस/दाल मिल, साल्वेंट प्लांट, लघु एवं मध्यम उद्योग जिसमें सम्मिलित है. विनिर्माण इकाईयां, पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर एवं एलाईड और अन्य कनेक्शन, जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से विद्युत प्राप्त कर रहे हो.		

2. भाग-ग में, सरल क्रमांक-19, 19(अ) एवं 20 तथा उससे संबंधित पृविष्ठियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :—

(1)	(2)	(3)	(4)
“19	ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 02 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से कम उत्पादन क्षमता रखते हों, जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपभोग अपने स्वयं के स्टील इकाई के लिए कर रहे हों.	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक 3 प्रतिशत एवं तत्पश्चात 15 प्रतिशत की दर से.
19 (अ)	ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 02 मिलियन टन प्रति वर्ष से कम उत्पादन क्षमता रखते हो, में संस्थापित केप्टिव पॉवर प्लांट के सहायक उपभोग पर.	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक 6 प्रतिशत एवं तत्पश्चात् 15 प्रतिशत की दर से.
20	ऐसे सभी स्टील संयंत्र, जो 02 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से अधिक उत्पादन क्षमता रखते हों, जो स्वयं के केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित बिजली का उपभोग अपने स्वयं के स्टील इकाई के लिए कर रहे हों.	उपभोग किए गए सभी यूनिटों पर	01 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक 9 प्रतिशत एवं तत्पश्चात 15 प्रतिशत की दर से.”

No. 1349/F-29/01/2016/13/2/ED.—Whereas, the State Government is of the opinion that in the event of closure of industries operating in the State, such as Mini Steel Plants and Ferro Alloys units having production capacity upto 2 Million Ton Per Annum (MTPA) which are obtaining electricity from Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited and all such Steel Plants, Rolling Mills, Sponge Iron Plants, Rice/Dal Mill, Solvent Plant, Ferro Alloys, Iron ore Peller Plants, Iron beneficiation Plant or any combination thereof and other Small and Medium industuries including all downstream and manufacturing units, Poultry Farms, Agriculture and Allied and other connections upto 20 MVA obtaining electricity from Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited, due to recession in industrial/financial sector, may cause large scale unemployment of workers engaged in these industries and in view of adverse impact on the revenue of the State, it is necessary and expedient in public interest to extend various concessions in electricity duty applicable for the period between 1st April, 2017 to 30th September, 2017 under Special Package as amended from 1st october, 2017 to 31st March, 2018;

And Whereas, Electricity Duty on such Mini Steel Plants and Ferro Alloys units having production capacity upto 2 Million Ton Per Annum (MTPA) which are obtaining electricity from Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited and all such Steel Plants, Rolling mills, Sponge Iron Plants, Ferro Alloy Steel Casting. Integrated Steel Plants, Rice/Dal mill, solvent plants, small & Medium Industries including manufacturing units, Poultry Farms and Agriculture Allied and other connections upto 20 MVA obtaining electricity from Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited is required to be reduced from existing rate of 6% to 3%.

And Whereas, Electricity Duty on all such Steel Plants having production capacity less than 2 million ton per annum which are consuming electricity generated from their captive power plant to be reduced from existing rate of 15% to 3%.

And Whereas, Electricity Duty on auxiliary consumption of captive power plant installed in all such Steel Plants having capacity of less than 2 million ton per annum required to be reduced from existing rate of 15% to 6%.

And Whereas, Electricity Duty on all such Steel Plants having production capacity of more than 2 million ton per annum which are consuming electricity generated from their captive power plant in their own steel unit is required to be reduced from existing rate of 15% to 9%.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3-B and Section 3-C of the Chhattisgarh Electricity Duty Act, 1949 (No X of 1949), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Schedule of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said Act—

1. In Part-A, for serial number 10 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"10	Mini Steel Plant and Forro Alloy units having production capacity of upto 2 Million Ton Per Annum (MTPA) which are obtaining electricity from Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited and all such Steel Plants, Rolling mills, Sponge Iron Plants, Ferro Alloy Steel Casting, Integrated Steel Plants, Rice/Dal mill, Solvent Plant, Small & Medium Industries including manufacturing units, Poultry Farms and Agriculture and Allied and other connections upto 20 MVA obtaining electricity from Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited.	On all consumed units	3 percent instead of 6 persent with effect from 1st october, 2017 to 31st March, 2018 and thereafter at the rate of 6 percent."

2. In Part-C,—

   (i) for serial number 19, 19A and 20 and entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"19	All such steel Plants having production capacity of less than 2 million ton per annum (MTPA) which are consuming electricity generated from their captive power plant for their own steel unit.	On all consumed units	3 percent with effect from 1st october, 2017 to 31st March, 2018 and thereafter at the rate of 15 percent.
19 A	Auxiliary consumption of captive power plant installed in all such Steel Plants having production capacity of less than 2 million ton per annum.	On all consumed units	6 percent with effect from 1st october, 2017 to 31st March, 2018 and thereafter at the rate of 15 percent.

(1)	(2)	(3)	(4)
20	All such steel Palnts having production capacity of more than 2 million ton per annum (MTPA) which are consuming electricity generated from their captive power plant in their own steel unit.	On all consumed units	9 percent with effect from 1st october, 2017 to 31st March, 2018 and thereafter at the rate of 15 percent."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 1-5/2010/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत निरीक्षकालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वर्ष-2019 में, अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के समक्ष कॉलम-4 में उल्लेखित तिथि से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	जन्म तिथि (3)	सेवानिवृत्ति की तिथि (4)
1.	श्री एस. के. सिन्हा मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक	06-08-1957	31-08-2019 (अपरान्ह)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 10-8/2018/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-04-2018 द्वारा लागू असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना को पूर्णत: संशोधित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

1. योजना का नाम "असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना" होगा.
2. योजना के अंतर्गत महिला कर्मकार को एकमुश्त रुपये 10,000/- प्रति प्रसव सहायता देय होगी.
3. प्रसूति सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी.
4. प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक उत्तराधिकारी होने पर बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा.
5. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—** यह योजना प्रदेश में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा अधिसूचित समस्त प्रवर्गों के अंतर्गत पंजीकृत महिला कर्मकारों के लिये लागू होगी.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. हितग्राहियों को शिशु के जन्म के 90 दिवस के भीतर किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा.
2. आवश्यक दस्तावेज :— अ. जन्म प्रमाण पत्र, ब. बैंक अकाउंट विवरण.

(द) **लाभ प्रदाय करने का प्रक्रिया :—** आवेदक के आवेदन के जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा.

(इ) **स्वीकृति का अधिकार :—** योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का निर्णय अंतिम माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 10 अप्रैल 2018

प्रारूप–एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक 3316/भू-अर्जन/2018.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	कुरूद	भखारा	2.34 हेक्ट.	भखारा बायपास मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27–04–2018 को प्रातः 11.00 बजे सामुदायिक भवन पटेल पारा–भखारा, तहसील कुरूद में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — भखारा बायपास मार्ग निर्माण
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 15
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

5. प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.

7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

8. परियोजना की कुल लागत — 11.48 करोड़

9. परियोजना से होने वाला लाभ — आवागमन में सुविधा तथा दुर्घटनाओं में कमी होगी.

10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति हेतु उपाय उपाय किये जा रहे हैं तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद की मांग अनुसार राशि जमा की जावेगी.

11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक. परियोजना से प्रभावित भूमि ग्राम भखारा का खसरा क्रमांक 1631, 1647, 1650, 1648, 1649, 1654/3, 1655, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1679/1976, 1693/2, 1693/4, 1693/3, कुल खसरा 16, कुल रकबा 2.34 हेक्टेयर.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

धमतरी, दिनांक 10 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक 3318/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	कुरूद	सिहाद	3.14 हेक्टेयर	भखारा बायपास मार्ग निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-04-2018 को प्रात: 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत सिहाद तहसील कुरूद में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — भखारा बायपास मार्ग निर्माण

2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 27

3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	11.48 करोड़
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन में सुविधा तथा दुर्घटनाओं में कमी होगी
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति हेतु उपाय किये जा रहे है तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरूद की मांग अनुसार राशि जमा की जावेगी.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक. परियोजना से प्रभावित भूमि ग्राम सिहाद का खसरा क्रमांक 20, 21/1, 24, 25, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 32, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 82/1, 84, 354, 356, 357, 358, 359, 370, 371, 372/2, कुल खसरा 30, कुल रकबा 3.14 हेक्टेयर.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 5 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक 75/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
महासमुन्द	महासमुन्द	अचानकपुर प.ह.नं. 09	6.26 हेक्ट.	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-अचानकपुर.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 19-04-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, अचानकपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक).	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हे. को खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
(दो).	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	66 परिवार
(तीन).	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार).	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच).	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः).	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात).	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ).	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 1102.26 लाख
(नौ).	परियोजना से होने वाला लाभ	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
(दस).	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं.
(ग्यारह).	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 5 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक 83/भू-अर्जन/2017-18.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	सरायपाली	परसकोल प.ह.नं. 38	1.68 हेक्ट.	दाऊगुड़ी व्यपवर्तन योजना से दो ग्रामों की 102 हे. खरीफ सिंचाई के लिये बांयी एवं दांयीनहर निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-परसकोल.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 25-04-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन, परसकोल पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक). लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — दो ग्रामों के 102 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो). प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 30 परिवार

(तीन). अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार). प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच). प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः). क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.

(सात). क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां

(आठ). परियोजना की कुल लागत — रु. 229.62 लाख

(नौ). परियोजना से होने वाला लाभ — दो ग्रामों के 102 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.

(दस). प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय. — प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं.

(ग्यारह). परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 5 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

क्रमांक 84/भू-अर्जन/2017-18.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	महासमुन्द	रूमेकेल प.ह.नं. 06/10	1.13 हेक्ट.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-रूमेकेल.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 18-04-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, रूमेकेल में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. को खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 434.67 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 5 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिए)

क्रमांक 85/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	महासमुंद	बरेकेल प.ह.नं. 16	0.33 हे.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-बरेकेल.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 17-4-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, बनपचरी में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. को खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 434.67 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 5 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

क्रमांक 86/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	महासमुंद	तेन्दुवाही प.ह.नं. 16	1.17 हे.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-तेन्दुवाही.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 16-4-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, सिनोधा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. को खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 434.67 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 5 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

क्रमांक 87/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	महासमुंद	रैमुड़ा प.ह.नं. 06	3.70 हे.	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-रैमुड़ा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 20-4-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, बंदोरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हे. को खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	24 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 1102.26 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुंद, दिनांक 5 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिए)

क्रमांक 88/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	महासमुंद	बंदोरा प.ह.नं. 09	4.46 हे.	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-बंदोरा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 20-4-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, बंदोरा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हे. को खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	33 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 1102.26 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक.

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/979/06 अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	टॉगर	0.414 हे.	लातनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31/05/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-टॉगर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — नहर निर्माण हेतु.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 02

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 02

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.

(आठ) परियोजना की कुल लागत — 3858.43 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय. — उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/979/07 अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	टॉड़ापाली	0.150 हे.	लातनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31/05/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-टॉड़ापाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — नहर निर्माण हेतु.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 01

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 02

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छ:) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.

(आठ) परियोजना की कुल लागत — 3858.43 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय. — उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/979/08 अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	बोईरडीह	0.020 हे.	लातनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31/05/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-बोईरडीह पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	3858.43 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/979/09 अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	माधोपाली	0.045 हे.	लातनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31/05/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-माधोपाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	3858.43 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/979/10 अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	चिखली	0.308 हे.	लातनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31/05/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-चिखली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	3858.43 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/979/11 अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	सारंगढ़	खरवानी बड़े	0.788 हे.	लातनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 31/05/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-खरवानी बड़े पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	06
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छ:)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	3858.43 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/980/14 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	खुड़बेना	0.426 हे.	लीलार व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 01/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-खुड़बेना पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	07
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	12
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	970.10 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/980/15 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	सारंगढ़	तिलाईदादर	0.972 हे.	लीलार व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 01/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-तिलाईदादर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	11
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	970.10 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/980/16 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	बरभॉठा	0.057 हे.	लीलार व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक / /2018 को समय 11.00 बजे स्थान-बरभॉठा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	970.10 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/980/17 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	सारंगढ़	मुड़पार बड़े	0.611 हे.	लीलार व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 01/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-मुड़पार बड़े पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — नहर निर्माण हेतु.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 17

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 36

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.

(आठ) परियोजना की कुल लागत — 970.10 लाख

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय. — उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/980/18 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	रामभॉठा	0.078 हे.	लीलार व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 01/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-रामभॉठा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	01
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	02
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	970.10 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखें)

क्रमांक/981/19 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	छुहीपाली	3.433 हे.	खुण्डीनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-छुहीपाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	55
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	169
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	488.40 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/981/20 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	सिरौली	0.612 हे.	खुण्डीनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-सिरौली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	45
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	488.40 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/981/21 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	सारंगढ़	डौकीजोर	0.465 हे.	खुण्डीनाला व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 02/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-डौकीजोर पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	35
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	488.40 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप–एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/982/22 अ–82/2016–17 (पूरक प्रकरण).—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	बरमकेला	पठियापाली	2.174 हे.	पठियापाली जलाशय निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 05/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान–पठियापाली पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	डूबान एवं नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	39
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	69
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	85.00 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय–समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/982/23 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	बरमकेला	झाबड़	0.323 हे.	पठियापाली जलाशय निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 05/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-झाबड़ पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	08
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	17
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	85.00 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/982/24 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	बरमकेला	डभरा	0.547 हे.	पठियापाली जलाशय निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 05/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-डभरा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	23
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	43
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	85.00 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/983/25 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	बरमकेला	मारोदरहा	0.483 हे.	बैगामुड़ा जलाशय निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 04/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-मारोदरहा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नहर निर्माण हेतु.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	16
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	25
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय.	—	उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग.शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखें)

क्रमांक/983/26 अ-82/2016-17 (पूरक प्रकरण).—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	बरमकेला	डड़ाईडीह	0.557 हे.	बैगामुड़ा जलाशय निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 04/06/2018 को समय 11.00 बजे स्थान-डड़ाईडीह पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — नहर निर्माण हेतु.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 14

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 27

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? — हां.

(सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ? — हां उल्लेखित भूमि पर नहर निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित है.

(आठ) परियोजना की कुल लागत —

(नौ) परियोजना से होने वाला लाभ — आस पास के कृषकों की सिंचाई सुविधा एवं आर्थिक उत्थान.

(दस) प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाली संभावित व्यय. — उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावेगा संभावित व्यय रुपये पांच लाख या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2018

क्रमांक क/भू-अर्जन/16/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बकावण्ड	मरेठा प.ह.नं.-04	1.18	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बस्तर.	मरेठा-सोरगुडा मार्ग के कि.मी. 2/2 में मारकण्डी नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 11 अप्रैल 2018

क्रमांक/6333/भु.-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	कनबेरी प.ह.नं. 37	5.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	कुदुरमाल एनीकट योजना के बांध लाईन एवं डूब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 अप्रैल 2018

क्रमांक/7029/भु.-अर्जन/14 अ 82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	करमंदी प.ह.नं. 20	1.497	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोरबा.	मुकुन्दपुर एनीकट योजना के बांध लाईन में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 25 अप्रैल 2018

क्रमांक/7032/भु.-अर्जन/41 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	चुईया प.ह.नं. 07	8.21	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन कोरबा.	मुकुन्दपुर एनीकट योजना के बांध लाईन में आने वाली भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 अप्रैल 2018

क्रमांक/5599/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	कुटराबोर प.ह.नं. 19	0.036	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 06, नंदेलीभाठा, सक्ती.	मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत हरेठीकलां माइनर 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 मार्च 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रावनखोदरा प.ह.नं.-18	0.552	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अ.मु. खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.).	केलो परियोजना के अंतर्गत केलो पुटकापुरी माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कुरमापाली प.ह.नं.-18	0.461	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत धनगांव वितरक नहर तथा औराभांठा माईनर व कुरमापाली माईनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	राईतराई प.ह.नं.-01	0.279	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत राईतराई माईनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	राईतराई प.ह.नं.-01	0.295	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत अमलीडीहा माईनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोर्रा प.ह.नं.-01	3.668	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत राईतराई माईनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	गोर्रा प.ह.नं.-01	3.896	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत अमलडीहा माईनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	बासनपाली प.ह.नं.-16	0.323	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत रूचिदा माईनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	टेका प.ह.नं.-17	0.678	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत तारापुर माईनर हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 20 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 885/18/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	कुनकुनी प.ह.नं.-26	0.105	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5, खरसिया, जिला-रायगढ़.	खैरपाली वितरक नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन सजंय त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 19 अप्रैल 2018

क्रमांक/3163/वाचक/भू-अर्जन/कोरिया.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-भरतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मेनपुर, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	256	0.08
	241	0.07
	239	0.15
	213	0.05
	232	0.08
	188	0.14
	171	0.08
	168	0.15
	166	0.10
योग	9	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मंजनीमाटी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 19 अप्रैल 2018

क्रमांक/3164/वाचक/भू-अर्जन/कोरिया.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-भरतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करवां, प.ह.नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	170/1	0.04
	283	0.01
	170/2	0.04
	279	0.02
	280	0.08
योग	5	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-मंजनीमाटी व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 19 अप्रैल 2018

क्रमांक/3165/वाचक/भू-अर्जन/कोरिया.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-भरतपुर

(ग) नगर/ग्राम-खेतौली, प.ह.नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	543	0.19
	548	0.16
	552	0.07
	383	0.08
	550	0.04
	551	0.10
	341	0.08
योग	7	0.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-शैलपटपर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 19 अप्रैल 2018

क्रमांक/3166/वाचक/भू-अर्जन/कोरिया.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-भरतपुर

(ग) नगर/ग्राम-बहरासी, प.ह.नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	105	0.12
	127	0.03
	106	0.04
	107	0.04
	124	0.04
	111	0.14
	123	0.03
	126	0.01
	128	0.01
	125	0.02
	131	0.02
योग	11	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सिंघौर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 19 अप्रैल 2018

क्रमांक/3167/वाचक/भू-अर्जन/कोरिया.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरिया

(ख) तहसील-भरतपुर

(ग) नगर/ग्राम-पिछौराबांध, प.ह.नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.01 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176	0.10

	(1)	(2)
	173	0.06
	168	0.06
	140	0.10
	169	0.11
	148	0.09
	152	0.18
	154	0.06
	33	0.10
	49/2	0.03
	37	0.10
	24	0.02
योग	12	1.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सिंघौर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 19 अप्रैल 2018

क्रमांक/3168/वाचक/भू-अर्जन/कोरिया.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-भरतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-काशीटोला, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
434	0.06
435	0.06
421	0.04

	(1)	(2)
	342	0.06
	358	0.04
	359	0.08
	364	0.03
	362	0.02
	363	0.03
	380	0.02
	370	0.20
	371	0.14
	383	0.04
योग	13	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सिंघौर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 19 अप्रैल 2018

क्रमांक/3169/वाचक/भू-अर्जन/कोरिया.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-भरतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-काशीटोला, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.80 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
539/4	0.04
539/3	0.04
547	0.16
454	0.09

(1)	(2)
444	0.03
439	0.08
275	0.02
424	0.02
178	0.03
441	0.02
180	0.02
276	0.03
277	0.07
278	0.02
189	0.02
188	0.03
187	0.04
184	0.03
126	0.01
योग 19	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सिंघौर व्यपवर्तन योजना के फीडर बियर एल.बी.सी. नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भरतपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार दुग्गा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्रमांक 3935/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-कुसमी/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अंबिकापुर (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुसमी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

कुसमी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम करकली पश्चिम, करकली पूर्व, सेमरा, कंजीया, गजाधरपुर, नटवर नगर एवं घुटराडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम घुटराडीह, रातासिली एवं रामनगर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम रामनगर, शाहपुर, कुसमी, पकरीटोली, कंचनटोली, नीलकंठपुर एवं नवाडीह ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम नवाडीहा, करकली पूर्व एवं करकली पश्चिम ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना रोजगार कार्यालय, रिंग रोड, नमनाकला, अम्बिकापुर (छ.ग.)

No. 3935/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-कुसमी/2017.— The existing land use map and register for the Kusmi Planning Area Existing land use map and Register was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

Therefore, a notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map Register of Kusmi Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director Town & Country Planning, Ambikapur under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazett. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Kusmi Planning Area

NORTH	:	Village Karkali west, Karkali East, semra, Kanjiya, Gajadharpur, Natwar Nagar & upto The Northern Limit of Ghutradih.
EAST	:	Village Ghutradih, Ratasili & upto the Eastern limit of Ramnagar.
SOUTH	:	Village Ramnagar, Shahpur, Kusmi, Pakritoli, Kanchantoli, Nilkanthpur & upto the Southern limit of Nawadiha.
WEST	:	Village Nawadiha, Karkali East & upto the Western limit of Karkali West.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazzette.

Inspection site — Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Ring Road No. 1, Old Employment office, Namnakala, Ambikapur (C.G.).

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.